लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,
मध्यप्रदेश

सी.पी.एस. मुम्बई के माध्यम से प्रदेश के जिला/सिविल अस्पतालों में पी.जी.डिप्लोमा सीट्स में प्रवेश हेतु

सूचना

प्रदेश के 19 शासकीय जिला/सिविल अस्पतालों में सी.पी.एस., मुम्बई से संबद्धता प्राप्त कर विभिन्न विधाओं में दो वर्षीय पी.जी. डिप्लोमा पाठ्यक्रम संचालित किये जा रहे है। वर्ष 2020 से प्रारंभ होने वाले शैक्षणिक सत्र में प्रवेश हेतु कुल 98 पीजी डिप्लोमा सीट्स पर प्रवेश हेतु आवेदन आमंत्रित किये जा रहे है। पी.जी. डिप्लोमा पर प्रवेश हेतु आवेदन पत्र हेतु निम्नानुसार पात्रता निर्धारित की गई है:-

1. आवेदक को पी.जी. नीट 2020 क्वालिफाईड होना अनिवार्य है।
2. विभाग के तहत कार्यरत नियमित एवं संविदा चिकित्सा अधिकारी एवं निजी एम.बी.बी.एस. चिकित्सक (ओपन श्रेणी) प्रवेश हेतु आवेदन प्रस्तुत कर सकेंगे। आवेदन हेतु सेवा अनुभव आवश्यक नही है।
3. पुरूष एवं महिला आवेदकों के लिए अधिकतम आयु सीमा 01 जनवरी 2020 को क्रमशः 45 वर्ष एवं 50 वर्ष है।
4. प्रदेश के प्रचलित आरक्षण नियमों के अनुरुप सीट्स का आवंटन किया जायेगा।
5. नियमित एवं संविदा चिकित्सा अधिकारियों को ग्रामीण सेवा में पदस्थापना का लाभ देते हुए वरीयता का निर्धारण किया जाएगा, प्रवेश वरीयता क्रम के आधार पर दिया जाएगा।
6. प्रवेश हेतु विस्तृत दिशा-निर्देश, पीजी डिप्लोमा सीट्स की जानकारी एवं आवेदन पत्र का प्रारुप विभाग की वेब साईट http://www.health.mp.gov.in/en/training-orders पर उपलब्ध कराया गया है।
7. आवेदन पत्र के साथ समस्त आवश्यक प्रमाणपत्रों/दस्तावेजों की स्व प्रमाणित प्रतियां पीडीएफ फार्मेट में एक साथ स्केन कर एक फाईल के रुप में ईमेल आईडी **cpsmp2020@gmail.com** में प्रेषित की जाना चाहिए।
8. आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथी दिनांक 20 अगस्त 2020 है, विलम्ब से प्राप्त आवेदन पत्रों को मान्य नही किया जाएगा।

(राकेश मुंशी)
संयुक्त संचालक (प्रशिक्षण)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं
मध्य प्रदेश

संशोधित

सी.पी.एस., मुम्बई के माध्यम से प्रदेश के जिला/सिविल अस्पतालों में
पी.जी. डिप्लोमा सीट्स में प्रवेश हेतु
दिशा-निर्देश - 2020

प्रदेश के शासकीय चिकित्सालयों को कॉलेज ऑफ फिजिशियन्स एंड सर्जन्स (सी.पी.एस.), मुम्बई के द्वारा विभिन्न विषयों में दो वर्षीय पी.जी. डिप्लोमा पाठ्यक्रम संचालित करने के लिये सम्बद्धता प्रदान की गई है, विवरण अनुलग्नक-1 पर दिया गया है। पी.जी. डिप्लोमा सीट्स की संख्या प्रावधिक है, वास्तविक संख्या इससे कम भी हो सकती है।

2. भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् (एम.सी.आई.) से निम्न विषयों में सी.पी.एस. पी.जी. डिप्लोमा पाठ्यक्रमों को मान्यता प्राप्त है:-

- स्त्री रोग एवं प्रसूति (डी.जी.ओ.),
- शिशु रोग (डी.सी.एच.),
- पैथालॉजी एवं बैक्टिरियोलॉजी (डी.पी.बी.)

3. मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद् द्वारा **मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद् (द्वितीय संशोधन) विधेयक 2019** के द्वारा निम्न विषयों में सी.पी.एस. पी.जी. डिप्लोमा पाठ्यक्रमों को मान्यता प्रदान की गई है:-

- निश्चेतना (डी.ए.)
- जनरल मेडिसीन (डी.जी.एम.)
- जनरल सर्जरी (डी.जी.एस.)
- सायकोलॉजिकल मेडिसीन (डी.पी.एम.)
- मेडिकल रेडियोलॉजी एवं इलेक्ट्रोलॉजी (डी.एम.आर.ई.)
- इमरजेंसी मेडिसीन (डी.एम.ई.ई.)

आर्थोपिडिक्स विषय में पीजी डिप्लोमा (डी.आर्थो.) को मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद् के द्वारा मान्यता प्रदान कराने हेतु एक्ट में संशोधन की कार्यवाही पृथक से की जायेगी।

4. सी.पी.एस.डिप्लोमा पाठ्यक्रम में चयन हेतु मापदण्ड एवं पात्रता:-

1. पी.जी. डिप्लोमा में प्रवेश हेतु प्रवेश वर्ष की पी.जी. नीट क्वालिफाईड होना अनिवार्य है। उदाहरण के लिये वर्ष 2020 में प्रवेश के लिये वर्ष पी.जी. नीट 2020 क्वालिफाईड होना अनिवार्य है।

2. पी.जी. डिप्लोमा पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु पुरुष चिकित्सक के लिए अधिकतम आयु सीमा 01 जनवरी को 45 वर्ष तथा महिला चिकित्सक के लिए 50 वर्ष होगी। उदाहरण के लिये वर्ष 2020 में प्रवेश के लिये पुरुष चिकित्सक का जन्म दिनांक 01 जनवरी 1975 के बाद में तथा महिला चिकित्सक का जन्म दिनांक 01 जनवरी 1970 के बाद में होना चाहिए।

3. सेवारत नियमित/संविदा चिकित्सा अधिकारियों की सेवा अवधि की गणना प्रत्येक वर्ष दिनांक 31 मार्च की स्थिति में की जाएगी। उदाहरण के लिये वर्ष 2020 में प्रवेश के लिये यह गणना 31 मार्च 2020 की स्थिति मे की जाएगी।

4. पी.जी. डिप्लोमा सीट्स पर प्रवेश कॉउन्सलिंग के माध्यम से वरियता क्रम के आधार पर दिया जायेगा। इस हेतु आवश्यकतानुसार तीन से चार चरणों में कॉउन्सलिंग आयोजित् की जाएगी एवं आवश्यक होने पर मॉप अप राउंड की कॉउन्सलिंग भी आयोजित की जाएगी। कॉउन्सलिंग की सूचना समाचार पत्रों एवं विभाग की वेब साईट के माध्यम से दी जाएगी।

5. सेवारत नियमित चिकित्सा अधिकारी एवं संविदा चिकित्सा अधिकारी के लिये प्रत्येक विषय में न्यूनतम 50 प्रतिशत पीजी डिप्लोमा सीट्स रिजर्व रहेंगी। प्रवेश हेतु नियमित चिकित्सा अधिकारी एवं संविदा चिकित्सा अधिकारी को प्राथमिकता दी जाएगी।

6. प्रथम चक्र की कॉउन्सलिंग में केवल नियमित चिकित्सा अधिकारियों को भाग लेने की पात्रता होगी। प्रथम चक्र की कॉउन्सलिंग के पश्चात आवंटन हेतु उपलब्ध सीट्स के लिये द्वितीय चक्र की कॉउन्सलिंग आयोजित की जाएगी।

7. द्वितीय चक्र की कॉउन्सलिंग में सेवारत नियमित चिकित्सा अधिकारियों के साथ संविदा चिकित्सा अधिकारी कॉउन्सलिंग मे भाग लेने के लिये पात्र होंगे। द्वितीय चक्र की कॉउन्सलिंग के पश्चात आवंटन हेतु उपलब्ध सीट्स के लिये तृतीय चक्र की कॉउन्सलिंग आयोजित की जाएगी।

8. तृतीय चक्र की कॉउन्सलिंग में सेवारत नियमित चिकित्सा अधिकारियों एवं संविदा चिकित्सा अधिकारियों के साथ **एम.बी.बी.एस. चिकित्सक** (ओपन श्रेणी) भी भाग लेने हेतु पात्र होंगे।

9. जिन चिकित्सा अधिकारियों का चयन पी.जी.डिग्री/डिप्लोमा पाठ्यक्रम हेतु चिकित्सा महाविद्यालयों के लिए पूर्व में हो चुका है, किन्तु उनके द्वारा प्रवेश नही लिया गया हो तो उन्हें भी कॉउन्सलिंग में भाग लेने की पात्रता होगी।

10. सभी नियमित चिकित्सा अधिकारियों को अध्ययन अवधी के दौरान संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं स्तर पर चिकित्सा अधिकारियों के रिजर्व पदों के विरुद्ध वेतन प्रदान किया जायेगा।

11. संविदा चिकित्सा अधिकारियों एवं ओपन श्रेणी के तहत प्रवेश लेने वाले एम.बी.बी.एस. चिकित्सकों को अध्ययन अवधी के दौरान चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा पीजी डिप्लोमा/डिग्री रेजिडेंट चिकित्सकों के लिये निर्धारित मापदण्ड अनुरुप स्टायपंड प्रदान किया जाएगा। वर्तमान में स्टायपंड की प्रचलित दरें निम्नानुसार है:-

- प्रथम वर्ष में - रुपये 55,000 प्रति माह
- द्वितीय वर्ष में - रुपये 57,000 प्रति माह

12. ओपन श्रेणी के तहत प्रवेश लेने वाले एम.बी.बी.एस. चिकित्सकों को पीजी डिप्लोमा सीट आवंटित होने पर संबंधित अस्पताल की रोगी कल्याण समिति में प्रति वर्ष रुपंये 12,50,000 (बारह लाख पचास हजार) मात्र की फीस का भुगतान करना होगा। जमा की गई फीस नॉन रिफंडेबल होगी तथा समय समय पर विभाग द्वारा फीस राशि का पुर्ननिर्धारण किया जा सकेगा किंतु पीजी डिप्लोमा सीट पर प्रवेश लेने के बाद फीस बढ़ाई नही जाएगी।

13. विभाग द्वारा चिकित्सा महाविद्यालयों में पी.जी. डिग्री पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु पीजी नीट के प्राप्तांक तथा ग्रामीण/आदिवासी क्षेत्र में सेवा हेतु दिये गये महत्व को सम्मिलित कर तैयार की गई वरियता सूची तैयार की जाएगी एवं असके अनुरुप ही सीपीएस पी.जी. डिप्लोमा सीट्स पर प्रवेश दिया जाएगा।

14. पी.जी. डिप्लोमा सीट्स पर कॉउन्सलिंग इन दिशा निर्देशों के अनुरूप प्रदेश में प्रचलित आरक्षण नियमों का पालन करते हुए की जाऐगी । वर्तमान में प्रदेश में लागू श्रेणीवार आरक्षण निम्नानुसार है:-

श्रेणी	आरक्षण का प्रतिशत
एस.सी.	16
एस.टी.	20
ओ.बी.सी.	14

15. चिकित्सा अधिकारियों/ चिकित्सकों को आरक्षण का लाभ लेने के लिये जाति प्रमाण पत्र की स्व प्रमाणित प्रति उपलब्ध कराना अनिवार्य है, प्रवेश के समय पुष्टी हेतु मूल जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

श्रेणीवार आरक्षित सीट्स का विवरण निम्नानुसार है:-

S No	Subject	Tentative No. of PG Diploma Seats				
		Total	UR	ST	SC	OBC
1	स्त्री रोग एवं प्रसूति (डी.जी.ओ.)	22	11	04	04	03
2	शिशु रोग (डी.सी.एच.)	14	07	03	02	02
3	निश्चेतना (डी.ए.)	08	04	02	01	01
4	जनरल मेडिसीन (डी.जी.एम.)	20	10	04	03	03
5	जनरल सर्जरी (डी.जी.एस.)	20	10	04	03	03
6	आर्थोपिडिक्स (डी.आर्थो.)	06	03	01	01	01
7	पैथालॉजी एवं बैक्टिरियोलॉजी (डी.पी.बी.)	04	01	01	01	01
8	सायकोलॉजिकल मेडिसीन (डी.पी.एम.)	04	01	01	01	01
कुल योग		98	47	20	16	15

16. राज्य शासन के दिशा निर्देशों के अनुसार आर्थिक रुप से कमजोर सामान्य श्रेणी के अभ्यार्थियों को 10 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया जाएगा।

17. क्रीमीलेयर की परिधि में आने वाले सामान्य श्रेणी एवं पिछड़ा वर्ग श्रेणी के चिकित्सा अधिकारियों/ चिकित्सकों को आरक्षण का लाभ नही दिया जाऐगा ।

18. द्वितीय चक्र, तृतीय चक्र एवं चतुर्थ चक्र की कॉउन्सलिंग में सर्व प्रथम आरक्षित श्रेणी की रिक्त सीट्स को प्राथमिकता दी जाऐगी।

19. अंतिम चक्र की कॉउन्सलिंग पूर्ण होने पर आरक्षित श्रेणी के विशेष अर्हताधारी चिकित्सा अधिकारी/चिकित्सक उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में प्रवेश हेतु मॉप अप राउंड की कॉउन्सलिंग में शेष बची सीट्स पर आवंटन निम्न क्रम से किया जाएगा:-

    अ. अनुसूचित जनजाति की रिक्तियों के पद के विरूद्ध अनुसूचित जाति के अभ्यार्थियों से

    ब. अनुसूचित जाति की रिक्तियों के पद के विरूद्ध अनुसूचित जनजाति के अभ्यार्थियों से

    स. अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति की रिक्तियों के विरूद्ध अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों से एवं

    द. उपरोक्त तीनों श्रेणियों के आरक्षित अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में रिक्तियों के विरूद्ध अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों से ।

20. काउन्सलिंग हेतु चिकित्सा अधिकारी/चिकित्सक को दिशा-निर्देश के साथ दिये गये आवेदन प्रपत्र में पीजी डिप्लोमा पाठ्यक्रम एवं जिला/सिविल अस्पताल हेतु अपना विकल्प प्राथमिकता के क्रम में देना होगा। एक बार विकल्प देने के बाद उसे बदला नही जा सकेगा।

21. पी.जी. पाठ्यक्रम पूर्ण करने के उपरान्त नियमित/संविदा चिकित्सा अधिकारियों कों तीन वर्ष की सेवा विभाग द्वारा विहित आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में देने हेतु निर्धारित प्रपत्र पर बॉंड राशि रूपये 20,000,00/- (रूपये बीस लाख) मात्र का निष्पादन संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश/ मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के पक्ष में करना अनिवार्य होगा। ओपन सीट पर चयनित चिकित्सक को बॉंड भरने की अनिवार्यता नही होगी।

22. पी.जी. डिप्लोमा पाठ्यक्रम हेतु कॉउन्सलिंग हेतु कोई शुल्क जमा नही करना है, पी.जी. डिप्लोमा पाठ्यक्रम में सीट आवंटित होने के उपरांत सी.पी.एस., मुम्बई द्वारा निर्धारित निम्नानुसार शुल्क का भुगतान संबंधित चिकित्सा अधिकारी/ चिकित्सक को स्वयं करना होगा :-

- Registration Fees : Rs 15,000
- Enrolment Fees : Rs 50,200
- EPD Study Material : Rs 75,000

23. सी.पी.एस. पी.जी. डिप्लोमा काउन्सलिंग की सूचना समाचार पत्रों में विज्ञप्ति के माध्यम से तथा विभागीय वेबसाईट के माध्यम से तथा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी तथा सिविल सर्जन के माध्यम से दी जाऐगी। किसी भी चिकित्सा अधिकारी को काउन्सलिंग की सूचना व्यक्तिगत रूप से नही दी जाऐगी ।

24. प्रत्येक चक्र की काउन्सलिंग में आवंटित सीट्स का परिणाम यथा संभव उसी दिन अथवा अगले दिन घोषित किया जायेगा आगामी चक्र की काउन्सलिंग हेतु शेष बची सीट्स की जानकारी विभागीय वेब साईट पर प्रदर्शित की जायेगी।

25. निर्धारित प्रपत्र में पूर्ण रुप से भर कर आवेदन पत्र एवं समस्त प्रमाणपत्र/दस्तावेज स्व प्रमाणित कर ईमेल आईडी **cpsmp2020@gmail.com** पर दिनांक 6 अगस्त 2020 से प्रेषित किये जा सकेंगे। आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथी दिनांक 20 अगस्त 2020 है, इसके पश्चात प्राप्त आवेदन पत्रों को मान्य नही किया जाएगा।

26. पीजी डिप्लोमा सीट्स का आवंटन हेतु ईमेल से प्राप्त आवेदन पत्रों के आधार पर ही किया जाएगा। कोविड-19 के संक्रमण को देखते हुए फिजिकल रुप से काउंसलिंग आयोजित नही कर जाएगी।

27. सी.पी.एस. पी.जी. डिप्लोमा पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु निम्न प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियां काउन्सलिंग के दौरान उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा :-

1. M.B.B.S Passing Certificate
2. M.B.B.S Mark sheet
3. M.B.B.S. Degree
4. Internship Completion Certificate
5. Caste Certificate (if applicable)
6. Caste Certificate Validity (if applicable)
7. Non –Creamy Layer Certificate (if applicable)
8. State Medical Council Registration
9. State Medical Council I-Card (if applicable)
10. State Medical Council Application Receipt
11. Domicile Certificate
12. Address Proof /Aadhar
13. In-Service Experience Certificate (Wherever Applicable)
14. NEET PG 2020 Score Card
15. Copy of Appointment order (Regular/Contractual/Both)

अनुलग्नक-1

सी.पी.एस., मुम्बई से पी.जी. डिप्लोमा पाठ्यक्रम हेतु संबंद्ध जिला/सिविल अस्पतालों की सूची एवं विषयवार पीजी सीट्स की संख्या

क्रं.	जिला/सिविल अस्पताल	विषय	कुल संभावित पीजी डिप्लोमा सीट्स की संख्या
1	जिला अस्पताल, भोपाल	डीजीओ	4
		डीसीएच	4
		डीए	2
		डीजीएम	4
		डीआर्थो	2
		डीपीबी	2
2	जिला अस्प. रतलाम	डीसीएच	2
		डीजीएम	2
		डीजीएस	4
		डीए	2
		डीआर्थो	2
3	जिला अस्प. उज्जैन	डीसीएच,	2
		डीजीएम,	2
		डीजीएस	2
4	जिला अस्प. विदिशा	डीसीएच,	2
		डीजीएम,	2
		डीजीएस	2
5	सि.अस्प. पी.सी.सेठी, इंदौर	डीजीओ,	2
		डीसीएच,	2
		डीए	2
6	जिला अस्प. मंदसौर	डीजीएस	4
		डीए	2
7	जिला अस्प. होशंगाबाद	डीजीओ	4
		डीजीएस	2
8	जिला अस्प. शिवपुरी	डीजीओ	2
		डीजीएस	2

9	जिला अस्प. बड़वानी	डीजीएस	2
		डीआर्थो	2
10	जिला अस्प. छिंदवाड़ा	डीजीओ	2
		डीजीएम	2
11	जिला अस्प. सीहोर	डीजीएम	2
		डीपीबी	2
12	जिला अस्प. शहडोल	डीजीएम	2
		डीजीएस	2
13	सि.अ. रानी दुर्गावती, जबलपुर	डीजीओ	4
14	जिला अस्पताल, सागर	डीजीओ	2
15	जिला अस्पताल, सतना	डीसीएच	2
16	जिला अस्प. खंडवा	डीजीएम	2
17	कमला नेहरु गैस राहत अस्पताल, भोपाल	डीजीएम	2
18	इंदिरा गांधी गैस राहत अस्पताल, भोपाल	डीजीओ	2
19	मानसिक आरोग्य शाला, ग्वालियर	डीपीएम	4
	योग		98

Application for CPC Diploma Seat
Year 2020

1. Name of Applicant - ______________________

2. Father's/ Husband's Name - ______________________

3. Date of Birth (DD/MM/YYYY) - | | | | | | | | |

4. Address - ______________________
____
____

5. Email Id - ______________________

6. Mobile Number | | | | | | | | | | |

7. Whether belong to Gen/SC/ST/OBC/Gen-EWS - ____________

8. Year of passing MBBS -

9. Whether Regular/Contractual/Open Category - ____________

10. Experience of rural area posting as on 31.3.2020 - Years ____ Months_____Days______

11. Present place of posting - ______________
District ____________

12. PG Neet-2020 Score - ____________

13. Rural Area Service weitage (if any) - ____________

14. Total Score (PGNEET+Weitage) - ____________

15. Whether selected for PG Degree - Yes/No

16. If yes, then give details - ______________________

17. Option for CPS Diploma Seat (In order of **preference**) :–

S No	Subject(s)	Name of Hospital(s)
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		

Note : For any subject, any number of options can be given for hospital.

Date :

Place :

Name and Signature of Applicant